न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 51/24 तारीख रज्जू– 20/11/24

1. ऋषिकेश पुत्र शांतीलाल जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. नायब तहसीलदार वजीरपुर। —रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 18/12/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 128/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1606 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मैडी की भूमि खं0नं0 1606 रकबा 0.10 है0 के बाबत् एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण करने बाबत् पेश की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एक्ट का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलान्ट को नहीं मिला। इसके बाबजूद उक्त नोटिस के आधार पर अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ। परन्तु अपीलान्ट को उक्त नोटिस का जबाब पेश करने हेतु समय नहीं दिया गया तथा अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये जाना दिनांक 28.08.2024 की आर्डर शीट में अंकित करते हुए इस दिनांक को अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिकमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय गलत रूप से पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 28.08.2024 को लिया जाना अंकित किया है जबकि उक्त पत्रावली मे निर्णय दिनांक 20.08.2024 को ही पारित कर दिया गया। जिसका उल्लेख दिनांक 28.08.2024 की आर्डरशीट के बाद अंकित मोहर में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, अर्थात एक ही प्रकरण में दो निर्णय पृथक–पृथक पारित किये गये है जिसमें एक में निर्णय पृथक से लिखाया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के उक्त निर्णय पारित किया हैं, जबकि मौके पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा न ही अपीलान्ट उक्त भूमि का पश्चातवर्ती अतिकमी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2024 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान में भी अंकित किया हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि उक्त वाद आराजीयात की किस्म चरागाह है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा,साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण तथा बयान में भी अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद अराजीयात पर सम्वत् 2080 में भी अतिक्रमण करना तथा अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested